

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—19/06/2025

विषय:— “विकसित बिहार के सात निश्चय” अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 16,50,00,000/- (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश स०-309(1), दिनांक-07.03.2019 द्वारा “विकसित बिहार के सात निश्चय” अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, महुआ (वैशाली) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 539.55 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 16,50,00,000/- (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2-इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० मे)	आवटनादेश स० एवं दिनांक
1	2018-19	1 00.00.000	स०-118(1)ब०, दिनांक-12.03.2019
2	2021-22	62.00.00.000	स०-314(7), दिनांक-09.02.2022
3	2022-23	13.00.00.000	स०-80(7), दिनांक-23.06.2022
4	2022-23	32.00.00.000	स०-186(7), दिनांक-06.09.2022
5	2022-23	90.00.00.000	स०-553(7), दिनांक-17.03.2023
6	2023-24	19.00.00.000	स०-565(7), दिनांक-28.02.2024
7	2024-25	1.00.00.000	स०-48(7), दिनांक-27.05.2024
8	2024-25	15.00.00.000	स०-133(7), दिनांक-16.08.2024
9	2024-25	50.00.00.000	स०-153(7), दिनांक-29.08.2024
10	2024-25	9.45.00.000	स०-393(7), दिनांक-28.01.2025
11	2024-25	15.00.00.000	स०-498(7), दिनांक-10.03.2025
12	2024-25	60.07.00.000	स०-566(7), दिनांक-21.03.2025
कुल योग—		3,,67,52,00,000/-	

3- उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश स०-309(1), दिनांक-07.03.2019 के निहित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

4- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-050-भूमि- 0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

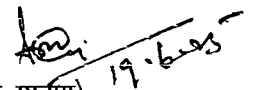
9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0स0-1/विविध-70/2018 के पृष्ठ-74/टि0 पर प्राप्त है।

10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंमु शर्मा) 19.6.25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक:-1/विविध-70/2018- 93 (7)

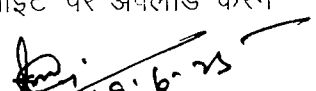
/स्वा0, पटना, दिनांक- 19/06/ 2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव